न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/87

भंवर लाल उर्फ भूरा आयु 75 वर्ष आत्मज रामलाल उर्फ रामा जाति लुहार निवासी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्य सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भू–आवंटन) नियम, 1968 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि भूरा आत्मज रामा जाति लुहार निवासी पेच की बावडी को ग्राम पेच की बावडी की आराजी खसरा नम्बर 795/318 रकबा 05 बिस्वा भूमि दिनांक 18.01.1983 को आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पर मकान, बाडा बना हुआ है उक्त भूमि नाकाबिल काश्त है । आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त राशि मय ब्याज के जमा नहीं करवायी है । आवंटी का आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

3. अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.01.1983 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2018 के द्वारा प्रार्थी तहीसलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी भूरा आत्मज रामा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.01.1983 निरस्त कर वादग्रस्त आराजी कब्जे राज में लिये जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं करवायी है । उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही अप्रार्थी अपीलान्ट काबिज काश्त है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि में नीबू, अमरूद के पेड लगाये थे जो अकाल के समय खराब हो गये थे व सूख गये थे इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को भी दिनांक 22.08.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि पटवारी साहब द्वारा इसको भूलवश नक्शा कटा–फटा होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं होने से इस भूमि पर मकान बता दिया है जबकि मौके पर कोई मकान नहीं हैं । उक्त भूमि का आवंटन, आवंटन नियमों के अन्तर्गत किया गया है और आवंटी द्वारा किसी भी आवंटन शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश करन कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.12.2018 को अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 16.01.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्य सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भू–आवंटन) नियम, 1968 के तहत पेश कर कथन किया कि भूरा आत्मज रामा लुहार निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को ग्राम पेच की बावडी की आराजी खसरा नम्बर 795/318 रकबा 05 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी जिस पर आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है । भूमि पडत पडी हुई है मकान व बाडा बना हुआ है उक्त भूमि नाकाबिल काश्त है जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है । अतः आवंटन निरस्त किया जावे । नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश किया गया और कथन किया गया कि कुछ वर्ष पहले भूमि पर पेड लगाये गये थे जो अकाल में सूख गये । नक्शा फटा होने के कारण मकान की रिपोर्ट की गई है । खसरा गिरदावरी संवत् 2073–78 पेश की थी जिसके अनुसार आराजी पर काश्त हो

रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए आवंटन को खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये जवाब एवं दस्तावेजों पर गौर नहीं किया है । आवंटन विधि सम्मत किया गया है । अपीलान्ट ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी मौके पर पडत पाई गई थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2069–72 संलग्न की गई है और इसके साथ एक मौका रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार मकान, बाडे मौके पर बन हुए हैं। उक्त भूमि का कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं हो रहा है । अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2016 और दिनांक 19.01.2017 को पेश किया है और जवाब प्रार्थना पत्र के साथ खसरा गिरदावरी संवत् 2073–76 पेश की है जिसके अनुसार संवत् 2073 में वादग्रस्त आराजी पर उडद की फसल किया जाना अंकित है । पत्रावली पर दिनांक 25.10.2018 का मौके पर्चा रिपोर्ट भी संलग्न है जिसके अनुसार मौके पर पत्थरों का कच्चा कोट लगा रखा है और वर्तमान में भूमि हंकी हुई है । साथ ही मौके पर भूरा आत्मज रामा लुहार का कब्जा बताया गया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार, हिण्डोली के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया गया कि अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 795/318 रकबा 05 बिस्वा आराजी आवंटित की गई थी जो उनके गैर खातेदारी में दर्ज है, मौके पर उनका कब्जा नहीं है । अतः आवंटन निरस्त किया जावे । इस प्रार्थना पत्र के साथ जो रिपोर्ट संलग्न की गई है उसमें आवंटन की तिथि 18.01.1983 अंकित की गई है परन्तु आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है । परीक्षण न्यायालय ने आवंटन की पत्रावली तलब नहीं की, बिना आवंटन की पत्रावली का अवलोकन किये यह विनिश्चय नहीं किया जा सकता कि आवंटन किन नियमों के तहत किया गया था । साथ ही दखलनामे की प्रति भी संलग्न नहीं की गई है जिसका अवलोकन करके विनिश्चय किया जा सके कि दखल कब दिया गया था । राजस्व रिकॉर्ड की जो प्रति पत्रावली पर संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भूरा आत्मज रामा की गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2069–71 में फसल किया जाना अंकित नहीं किया गया है परन्तु

नकल खसरा नम्बर संवत् 2073 में उडद की फसल किया जाना अंकित किया गया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का जिसमें कि तिथि अंकित नहीं है उसमें मौके पर मकान, बाडे बने होना और कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जाना अंकित किया है परन्तु एक अन्य रिपोर्ट जो दिनाक 25.10.2018 की है उसमें गैर खातेदार का कब्ज एवं मौके पर भूमि का हंकी होना अंकित किया गया है । इस प्रकार संलग्न रिपोर्टों में भी विरोधाभास है । हम इस प्रकरण में आवंटन की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं । साथ ही मौके पर काश्त आवंटन के 02 वर्ष के भीतर की गई थी अथवा नहीं यह विनिश्चय करने के लिए आवंटन के तुरन्त बाद की खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया जाना अनिवार्य है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवंटन की पत्रावली तलब कर पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन को दृष्टिगण रखते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/2/2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा